राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर।
"ए" ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर–302005

क्रमांकः एफ.4(ई)(1)(6)/नियुक्ति/अलेसे–III/पार्ट–III/5399 जयपुर दिनांक : 29/04/2020

जिला कलेक्टर,
(भू. अभिलेख) श्रीगंगानगर (राज.)

विषय :– श्रीमती मानविन्द्र कौर को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर पुनः कार्यग्रहण कराने के संबंध में।
प्रसंग :– आपका पत्र क्रमांक 1836–1838 दिनांक 15.04.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि मानविन्द्र कौर, कनिष्ठ लेखाकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर की खण्डपीठ में डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 257/2020 दायर की गई है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश दिनांक 18.03.2020 **(प्रति संलग्न)** के अनुसार निदेशालय द्वारा उनको कनिष्ठ लेखाकार के पद से कार्यमुक्ति के आदेश पर स्थगन प्रदान किया गया है तथा निर्देशित किया गया है कि तहसील राजस्व लेखाकार के पद पर कार्यग्रहण करने वाले व्यक्ति तहसील राजस्व लेखाकार पद पर ही कार्यरत रहेगें।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त अन्तरिम आदेश दिनांक 18.03.2020 की पालना में यदि अपीलार्थी मानविन्द्र कौर द्वारा तहसील राजस्व लेखाकार के पद पर कार्यग्रहण नही किया गया है तो उक्त डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 257/2020 में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय/आदेश के अध्यधीन मानविन्द्र कौर को अपने कार्यालय में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर पुनः कार्यग्रहण करवाकर इस विभाग को कार्यग्रहण रिपोर्ट भिजवाने का श्रम करावें।

कृपया माननीय उच्च न्यायालय के उक्त अन्तरिम आदेश दिनांक 18.03.2020 की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावे।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांकः एफ.4(ई)(1)(6)/नियुक्ति/अलेसे–III/पार्ट–III/5400-5401 जयपुर दिनांक : 29/04/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है।

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रकरण में कार्योन्तर स्वीकृति प्रदान करने हेतु।
2. मानविन्द्र कौर, कनिष्ठ लेखाकार, जिला कलेक्टर, (भू. अभिलेख) श्रीगंगानगर (राज.) को प्रेषित कर लेख है कि यदि उन्होने अभी तक तहसील राजस्व लेखाकार के पद पर कार्यग्रहण नही किया है तो ही क.ले. पद पर कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट विभाग को प्रेषित करावें।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–III)

Scanned with CamScanner